कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक - **1499** का उत्तर

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग अंतर्गत **5-6** नवम्बर, **2015** में आगजनी की घटना उपरांत कितने अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पुस्तिकाएं तैयार की गई है एवं कितनी सेवा पुस्तिकाओं को मान्यता प्राप्त हुई है ? | खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग अंतर्गत **5-6** नवम्बर, **2015** में आगजनी की घटना उपरांत **103** अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पुस्तिकाएं तैयार की गई है एवं **87** सेवा पुस्तिकाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। |
| (ख) | प्रश्नांश (क) के अंतर्गत जिन अधिकारी/ कर्मचारी की सेवा पुस्तिका तैयार नहीं की गई क्या उनको अग्रिम वेतन वृद्धियां व अवकाश एवं सातवें वेतनमान के अंतर्गत एरियर आदि का लाभ दिया जा रहा है यदि हां तो किस नियम के तहत किया जा रहा है, किन-किन अधिकारी/कर्मचारी को सेवा पुस्तिका की मान्यता सत्यापन के बगैर लाभ दिया गया क्यों ? | जी हां, द्वितीय सेवा पुस्तिका की मान्यता की प्रत्याशा में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख के आधार पर वेतन वृद्धि तथा अवकाश का लाभ दिया गया। सातवें वेतनमान के अंतर्गत एरियर का लाभ द्वितीय सेवा पुस्तिका की मान्यता तथा सातवे वेतनमान का अनुमोदन संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से प्राप्त होने के उपरांत दिया गया। शेष प्रश्ननांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। |

<u>नियंत्रक महोदय द्वारा अनुमोदित</u>

संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश